917
17-02-2023
Pathharchatta

कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145
जिला–उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

निविदा/अनुबन्ध की शर्ते

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर स्थित 07 तालाबों को जहाँ है जैसे के आधार पर 05 वर्ष दिनांक 16.03.2023 से 31.03.2028 तक मछली पालन हेतु वाह्य ठेकेदारों/ अधिकृत फर्मों को निविदा के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा/अनुबन्ध की शर्तेः

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर स्थित 07 तालाबों को जहाँ है जैसे के आधार पर 05 वर्ष दिनांक 16.03.2023 से 31.03.2028 तक मछली पालन हेतु वाह्य ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों को निविदा के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 01.03.2023 से 14.03.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में रु0 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु0 360.00 कुल रु0 2,360.00 (रुपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद/बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में जमा करते हुये क्रय किये जा सकते है एवं निविदायें दिनांक 13.03.2023 से 14.03.2022 तक कार्यालय समयावधि में (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद व तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 15.03.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 14.03.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे) में निविदा प्रपत्र फीस रु0 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु0 360.00 कुल रु0 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद तथा रू0 **01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रु0 50,000.00, रु0 05 लाख से रु0 10 लाख तक की निविदा हेतु रु0 1,00,000.00, रु0 10 लाख से रु0 15 लाख तक की निविदा हेतु रू0 1,50,000.00, रु0 15 लाख से रु0 20 लाख तक की निविदा हेतु रू0 2,00,000.00 तथा रु0 20 लाख से ऊपर तक की निविदा हेतु रु0 2,50,000.00** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।

बिक्री किये जाने वाले तालाबों का विवरण निम्नवत् हैः–

विभाग का नाम	लाट सं0	तालाबों का क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0–1	107 मीटर × 37 मीटर × 01 मीटर	**07 तालाबों को जहाँ है जैसे के आधार पर 05 वर्ष दिनांक 16.03.2023 से 31.03.2028 तक ठेके पर दी जायेगी।**
		107 मीटर × 30 मीटर × 01 मीटर	
		107 मीटर × 37 मीटर × 01 मीटर	
		110 मीटर × 34 मीटर × 01 मीटर	
		110 मीटर × 36 मीटर × 01 मीटर	
		111 मीटर × 37 मीटर × 01 मीटर	
		111 मीटर × 40 मीटर × 01 मीटर	

तालाबों की बिक्री हेतु निविदा की शर्तेः

1. तालाबों के ठेके की अवधि दिनांक 16.03.2023 से 31.03.2028 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार तालाबों का भली–भांति निरीक्षण कर लें, तालाबों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रु0 2,360/– (रुपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की निविदा प्रपत्र फीस (Tender Form Fees) वापस नहीं की जायेगी।
4. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
5. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा की कुल धनराशि 04 किस्तों में जमा करनी होगी, जिसकी 25 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करनी होगी, यदि सफल निविदादाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा तालाबों पर कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
7. द्वितीय वर्ष उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) दिनांक 30.04.2024 तक जमा करनी होगी एवं तृतीय वर्ष उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.04.2025 तक जमा करनी होगी।
8. शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 30.04.2026 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट की धरोहर धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल निविदादाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त की निर्धारित समय से जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की गई किस्त तथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा। उच्चतम निविदादाता/ठेकेदार द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 20 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ धनराशि जमा की जा सकती है।
9. सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते से बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
10. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को तालाब बेच नहीं सकता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो, उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु0 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को तालाबों का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
13. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस/ग्राम प्रधान/विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो तालाबों का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
14. बिक्री किये गये तालाबों के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
15. सफल निविदादाता को तालाबों से सम्बन्धित समस्त कार्य जैस–तालाबों की देख–रेख, पानी की व्यवस्था, पानी हेतु बोर करवाना, तालाबों की सफाई एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था स्वयं स्तर से करनी होगी।
16. सफल निविदादाता द्वारा तालाबों के रख–रखाव में लगाये गये श्रमिकों/व्यक्तियों के आधार कार्ड केंद्र कार्यालय में जमा कराना होगा।
17. सफल निविदादाता को किसी भी सामग्री को केंद्र के अन्दर लाते समय गेट पर प्रविष्टि कराना तथा केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई भी सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
18. केंद्र द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही निविदादाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना विश्वविद्यालय नियमुनसार लगाया जायेगा।
19. ठेकेदार को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 19 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता..

पूरा नाम.. पिता का नाम..

ग्राम एवं पो0.. तहसील ....

जनपद.......................................पिन .... दूरभाष सं0 ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक

प्रधान अनुसंधान केन्द्र

[illegible]